न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

सं. 131/2017
सीएमएस : 2017/00839

1. कुमारी वर्षा मेघवाल पुत्री नवीनकुमार जाति मेघवाल साकिन समेजाकोठी जरिये संरक्षक सुमन पत्नी नवीनकुमार जति मेघवाल साकिन समेजाकोठी हाल आवाद वेरां 23 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर राज.।

बनाम —:प्रार्थीया

1. नवीनकुमार पुत्र हनुमान प्रसाद जाति मेधववाल साकिन समेजाकोठी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. रजनी कुमारी पुत्री हनुमान प्रसाद जाति मेघवाल साकिन समेजाकोठी तहसील रायसिंहनगर श्रीगंगानगर राज.।
3. रूबल कुमारी पुत्री हनुमान प्रसाद जाति मेघवाल साकिन समेजा कोठी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

—:अप्रार्थीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम

उपस्थितअधिवक्तागण तारीख रजू 27.12.20217

1. हेतराम बिश्नोई प्रार्थीया अधिवक्ता।
2. श्री अशोक कुमार अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 अधिवक्ता।

—: **निर्णय** :—

दिनांक :—10.12.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीया के पिता नवीनकुमार के नाम चक 15 पीटीडी ए का मु.नं. 14 पं.नं. 268/343 के कि.नं. 1 ता 25 में 6.198 है. कमाण्ड भूमि खातेदारी दर्ज है। उपरोक्त भूमि अप्रार्थी नवीनकुमार को उनके दादा चुन्नीराम पुत्र रेखाराम से विरास्तन में प्राप्त हुई है। अप्रार्थी नवीनकुमार के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। अप्रार्थी नवीनकुमार को यह जमीन उनके दादा चुन्नीराम से प्राप्त हुई है इसलिए यह कृषि भूमि पैतृक है जिसमें प्रार्थीया का जन्म से ही हक व अधिकार निहित होने के कारण प्रार्थीया को दावा /प्रार्थना पत्र. का दावा का भाग माना जावे तथा दावा में वर्णित तथ्यों को माना जावे। अप्रार्थी नवीनकुमार द्वारा अपने नाम की उक्त कृषि भूमि को अपनी बहिनों के अप्रार्थी सं. 2 व 3 बैयनामा/दाननामा करवाये जाने का प्रयास किया जा रहा है। अप्रार्थी का यह कृत्य किसी भी प्रकार से विधि अनुसार नहीं हैं। अप्राथी को यह कृषि भूमि अपने दादा से मिली है इसलिए पैतृक भूमि होने के कारण उसे अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पक्ष में दाननामा/बैयनामा करवाने का अधिकार नहीं है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पक्ष में दाननामा/बैयनामा करने का प्रयास की जानकारी होने पर प्रार्थीया के नाना द्वारा इस बारे में उनको समझाने का प्रयास किया गया था परन्तु उसने इन्कार कर दिया तथा अप्रार्थी सं. 2 ता 3 के पक्ष में भूमि कराने की धमकी दी गयी। अप्रार्थी नवीनकुमार को यह भूमि दादा से मिली है इसलिए पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीया का जन्म से हक व अधिकार है इसलिए इस भूमि के संबंध में प्रार्थीया प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारीणी है इसलिए प्रार्थीया का मामला पैतृक होने के कारण प्रथम दृष्टया बनता है अप्रार्थी नवीनकुमार द्वारा विधि विरूद्व तरीके से उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 2 व 3 के नाम से दाननामा/बैयनामा द्वारा करवा [illegible] वंचित हो जावेगी तथा मुकदमा बाजी बढ़ेगी इसलिए उसे अपूर्णीय क्ष[illegible]का मुल्यांकन अधिक रूप से नहीं अंका जा सकता है सुविधा का [illegible] प्रार्थना पत्र आपके क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है [illegible] पेश किया गया है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर [illegible] का प्रार्थना स्वीकार कर अप्रार्थी नवीनकुमार के विरूद्व [illegible] जारी की जावे कि चक पीटीडी ए का का मु.नं. 14 पं.नं. 268/343 के कि.नं. [illegible] 25 में 6.198 है. नहरी [illegible] भूमि को किसी भी प्रकांर से अन्य को अन्तरण नहीं करें, अगर अप्रार्थी द्वारा अप्राथी सं. 2

उपखण्ड
रायसिंह...

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 10:52:18 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

व 3 के पक्ष में दाननामा/बैयनामा करवा दिया है तो अप्राथी सं. 2 व 3 के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी की जावे।

2. प्रार्थीया कुमारी वर्षा पुत्री नवीनकुमार नाबालिग जरिये संरक्षक माता सुमन पत्नि नवीनकुमार जरिये अभिवक्ता श्री हेतराम विश्नोई के द्वारा प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकार अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री अशोक कुमार अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में विरोध प्रकट करते हुये अपने अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि प्रार्थीया की माता का व्यवहार अप्रार्थी सं. 2 व 3 के प्रति अच्छा नहीं है, इसलिए अप्रार्थी स. 2–3 ने अपने दादा चुन्नीराम की खातेदारी भूमि में से अपना हिस्सा विधि सम्मत तरीके से प्राप्त किया है, इसलिए प्रार्थीया का इस भूमि किसी प्रकार का कोई हक नहीं है। इसी प्रकार प्रार्थीया की माता का व्यवहार अप्रार्थीगण की माता के प्रति भी अच्छा नहीं है। इसलिए उनकी माता के आये हिस्सा से प्रार्थीया किसी भी प्रकार की भूमि प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए प्रार्थीया प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि मानते हुए 1/2 हिस्सा घोषित करवाने की अधिकारिणी नहीं है तथा ना ही अप्रार्थी सं. 2 –3 के पक्ष में करवाये गये दान पत्र को अवैध घोषित करवाने की अधिकारिणी नहीं है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र इसी स्तर पर निरस्त फरमाया जावे।

3. बहस पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा विवादित भूमि पैतृक सम्पति है। जिसमे अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 मूल वाद के निर्णय तक बैय करने बाज व ममनु रहें ।तब तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे । वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित भूमि पर प्रार्थीयां का कभी कब्जा नहीं रहा है। विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 को अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् मिली है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 को अपने पिता से जरिये दान–पत्र दस्तावेज के जरियें प्राप्त हुई है।उक्त विवादित आराजी उनकी जरिये स्वंय अर्जित सम्पति है। उक्त भूमि का इन्तकाल रूकवाने हेतु कूटरचित तरीक से प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि में कोई हक व अधिकार प्रार्थीया को नही है। अतः प्राथीर्या का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने हेतु निवेदन किया है।

4. बहस पक्षकारान के अधिवक्तगण का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। विवादित भूमि चक वाके चक 15 पी टी डी के मु.न. 14 प.न. 268/343 के कि.न. 1 ता 25 में 6.198 है. नहरी कृषि भूमि को किसी भी प्रकर से अन्य को अन्तरण नहीं करे, अगर अप्रार्थी स. 2–3 के पक्ष में दाननामा /बैयनामा करवा दिया है । दान पत्र सही है या गल्त , उक्त भूमि पैतृक सम्मति है या नहीं इन बिन्दूओ का निस्तारण मूल वाद में दोनों पक्षों के साक्ष्य लिये जाकर मेरिट के आधार पर तय किया जाना है। फिलहाल का स्थगन प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया जाना है। विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थी के नाम से है। जिसका फायदा उठा कर उक्त भूमि बेचान किया जाता है तो इस से अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण का न होकर प्रार्थीया को होगा। भूमि का बेचान होने पर अनावश्यक रूप से विवाद बढेगा। विवादित भूमि अप्रार्थीगण के द्वारा बेचान कर दी जाती है तो इसे अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण को न होकर प्रार्थीया को होगी जिस ना पूरा होने वाला नुकसान की भरपाइ मुद्राओ में नहीं आकी जा सकेगी। तथा ऐसे में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष प्रतीत होता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में न होकर [illegible] है। ऐसे में प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्र[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 10:52:18 IST
Reason: SelfAttested

–:आदेशः–

उक्त विवेचन के आधार पर [illegible] जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निर्णय तक इस [illegible] निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि वाके चक 15 पी टी डी के मु.न. 14 प.न. 268/343 के कि.न. 1 ता 25 में 6.198 है. नहरी कृषि भूमि नहरी भूमि को किसी प्रकार से रहन बैय हंस्तारित ना करें तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे व ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे प्रार्थीया को नुकसान

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

होता हो। दिनांक 27.12.2017 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

आदेश आज दिनांक 10.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 10:52:18 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner